

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़. जिला- जोधपुर

पीठारीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या- 3/2020

निर्णय दिनांक- 06.01.2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. शिम्भुराम पुत्र मंगलाराम		1. प्रेमराम पुत्र ओमप्रकाश
2. सांवलराम पुत्र मंगलाराम		जाति जाट निवासी सुरपुरा खुर्द तहसील
3. कालूराम पुत्र मंगलाराम		भोपालगढ़ जिला जोधपुर
4. हेमाराम पुत्र मंगलाराम		2. तहसीलदार भोपालगढ़
5. भागीरथ पुत्र मंगलाराम		
जातियान जाट निवासीगण		
सुरपुरा खुर्द तहसील भोपालगढ़		
जिला जोधपुर		

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि-

1. राजस्व ग्राम सुरपुरा खुर्द की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नं. 700 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 700 तक आने जाने हेतु एक रास्ता खसरा नं. 701 की दक्षिणी माठ से होकर पूर्व से पश्चिम की तरफ आता जाता है, उक्त रास्ता खसरा नं. 701 में से होकर आता जाता है। उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी जमीन में से होकर चलता है जो रास्ता प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में 15 फुट चौड़ाई में रास्ता घोषित करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी जमीन में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता हेतु अप्रार्थी डीएलसी दर के अनुसार रुपये लेते हैं तो प्रार्थीगण इसे देने के लिए सहमत हैं।
2. यह है कि अभी हाल ही में प्रार्थीगण अपने खेत में जा रहे थे तो अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी भूमि पर दीवार निकाल कर रास्ता अवरुध कर दिया एवं प्रार्थीगण को जाने से रोका और कहा तुम्हें यहां से निकलने नहीं देंगे। प्रार्थीगण ने ग्राम सुरपुरा खुर्द में खेत खसरा नं. 700 तक आने जाने हेतु एक रास्ता खसरा नं. 701 की दक्षिणी माठ से होकर पूर्व से पश्चिम की तरफ से होकर आता जाता है उक्त रास्ता 15 फुट चौड़ा राजस्व रेकर्ड में घोषित किए जाने का निवेदन किया।

3. हमने पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसके अनुसार मौके पर खसरा नं. 700 पर जाने हेतु वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं



प्रस्तावित रास्ता बिन्दु संख्या GH दिया जाना उचित है। उक्त रास्ता GH घोषित

06.01.2021
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

किये जाने से पूर्व खसरा नं. 701/1 के विधि खातेदारों को सुना जाना अपेक्षित है। संलग्न नजरी नक्शा इस रिपोर्ट का भाग है।

4. प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री राकेश कुमार रलिया अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया जिसमें बताया कि खसरा नं. 701 की दक्षिणी माठ से होकर पूर्व से पश्चिम की तरफ कभी रास्ता नहीं चल रहा था। प्रार्थीगण हमेशा कटाणी रास्ते से होकर अन्य खेतों से होते हुवे खसरा नं. 700 में आता जाता है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया। वकील उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार सी,डी रास्ता देने का निवेदन किया। तहसीलदार भोपालगढ़ की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 700 पर जाने हेतु स्थायी रास्ते का अभाव है। प्रार्थी को मार्ग की आत्यांतिक आवश्यकता है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र पेश करने के बाद प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते पर जानबूझकर टांके व पक्की दीवार का निर्माण करवाया गया। अतः तहसीलदार भोपालगढ़ की मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि आप उपरोक्त मौका फर्द में वर्णित रास्ते सी,डी, में टांके को छोड़ते हुए ली जाने वाली भूमि का नाप चौप कर नियमानुसार डीएलसी दर की दुगुनी राशि को विधिक खातेदारों के भुगतान हेतु प्रार्थी से जरिये डीडी अथवा बैंक प्राप्त कर संबंधित रास्ते के प्रयोजन हेतु देने वाले खातेदारों, सहखातेदारों को बतौर क्षतिपूर्ति सुपुर्द करें। तत्पश्चात् राजस्व रेकर्ड में 15 फुट चौड़ाई का सार्वजनिक कटानी रास्ता अमल दरामद कर तरमीम की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रतिलिपिमय नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट तहसीलदार भोपालगढ़ को नियमानुसार पालना हेतु भेजी जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



06.01.2021
सुखाराम पिण्डेल
सहायक डी.एम.
(आर.ए.एस.) अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)